

## कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर (राज.)

क्रमांक-जि.वि.से.प्रा./जालोर/संविदा वाहन/2021/01

दिनांक-28.4.2021

### :: वित्तीय वर्ष, 2021-22 में दिनांक 31.3.2022 तक के लिए वाहन महिन्द्रा बोलेरो को मासिक अनुबन्ध पर किराये पर लेने हेतु विज्ञप्ति ::

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ-7(197/1) राल्सा/संस्था-किराया वाहन/2021/7869-7899 दिनांक 26.4.2021 की स्वीकृति के अनुसरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर कार्यालय को विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सफल आयोजन हेतु सम्पूर्ण जालोर न्याय क्षेत्र के लिए अधिकतम प्रतिमाह रूपये 31,350/- एवं 2000 किलोमीटर के अनुसार दिनांक 31.3.2022 तक की अवधि के लिए वाहन महिन्द्रा बोलेरो टैक्सी परमीट मासिक अनुबन्ध पर किराये पर लेने हेतु ईच्छुक वाहन मालिक/ट्रेवल एजेन्सी मालिक/रजिस्टर्ड फर्मों से वाहन के प्रस्ताव निम्नांकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किये जाते हैं-


#### नियम एवं शर्तें-

1. वाहन टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए तथा 05 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. वाहन के किराया की दर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक-F.2(4)FD/ SPFC/2017 Jaipur dated 31-3-2021 में वर्णित बिन्दु (जो लागू हो) के अनुसार प्रभावी होगी।
3. वाहन के ब्रेक डाउन/मरम्मत की स्थिति में तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा 1,100/- (अक्षरे एक हजार एक सौ रूपये) प्रति दिवस के हिसाब से शास्ति काटी जावेगी।
4. वाहन चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा लम्बित नहीं होना चाहिए।
5. वाहन का बीमा रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाईसेन्स व वाहन से सम्बन्धित वांछित समस्त दस्तावेजात की सत्यापित प्रतियां इस कार्यालय में जमा करानी होगी।
6. राजकीय यात्रा के दौरान वाहन मालिक द्वारा वाहन पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम की प्लेट लगानी होगी तथा यात्रा समाप्ति के पश्चात् कार्यालय में जमा करानी होगी।
7. वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
8. वाहन के लिए रखी गई लॉग बुक को प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी से समय-समय पर इन्द्राज कर भरी हुई प्रमाणित करवानी होगी।
9. वाहन किराये पर रखने के पश्चात् वाहन मालिक को 500/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध का निष्पादन करवाकर एक सप्ताह के भीतर-भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
10. वाहन किराये पर रखने की अवधि मौजूदा वित्तीय वर्ष, 2021-22 तक यानि 31.3.2022 तक होगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
11. कर्तव्य स्थल (Duty Point) से दूरी एवं समय की गणना की जावेगी।
12. वाहन किराये का बिल प्रति माह भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
13. वाहन किराये पर लेने सम्बन्धी वित्त विभाग का नवीनतम आदेश लागू होंगे।

प्रस्तावक वाहन महिन्द्रा बोलेरो से सम्बन्धित अपने प्रस्ताव निम्नांकित दस्तावेजों के साथ दिनांक 06.5.2021 को दोपहर 12.30 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रस्तावक अपना प्रस्ताव व्यक्तिशः अथवा इस कार्यालय की ईमेल [dlsa20jalore@gmail.com](mailto:dlsa20jalore@gmail.com) पर प्रेषित कर सकते हैं।

#### आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज (यदि लागू हो) संलग्न किये जाने आवश्यक हैं-

1. वाहन टैक्सी परमीट में रजिस्टर्ड होने के दस्तावेज की प्रति।
2. वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की वैध प्रति (आर.सी.)
3. वाहन के बीमा कराये जाने की प्रति।
4. वाहन के फीटनेस दस्तावेज की प्रति।
5. वाहन से सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज यदि हो।

  
सचिव 28/04/21  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
(अपर जिला न्यायाधीश)  
जालोर



